न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –241/2020(2020/00389)

अनवान : –

रामेश्वरलाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मांगेराम उर्फ मांगीलाल पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. रघुवीर पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
3. भगतसिंह पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
4. एसबीआई जरिये शाखा प्रबंधक बस स्टैण्ड भादरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनियां **वादी**
श्री उम्मेद मोठसरा **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 23/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक डोभी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 92/84, 96 के मुरब्बा न0 41 के किला न0 8, 11/2, 12, 13, 18 ता 20, 23, मु0 न0 46 के किला न0 14 ता 16, 25, मु0 न0 47 के किला न0 11 ता 25, मु0 न0 48 के किला न0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0 न0 51 के किला न0 1, 2, 10, मु0 न0 52 किला न0 1 ता 10, मु0 न0 53 के किला न0 5, 6 कुल किता 50 की कुल 12.346 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम उर्फ मांगीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा भुराराम की खातेदारी हुआ करती थी। भुराराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी मांगेलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी मांगीलाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर कुठाराघात पड़ता है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदानि की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल को वादी के दादा भुराराम से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबंदी चक डोभी बारानी सम्वत 2019 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रामेश्वरलाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी डोभी बारानी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 92/84, 96 प्रदर्श 1, खसरा भू. सैटलमेन्ट विभाग चक डोभी बारानी सम्वत 2019 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक डोभी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 92/84, 96 के मुरब्बा न0 41 के किला न0 8, 11/2, 12, 13, 18 ता 20, 23, मु0 न0 46 के किला न0 14 ता 16, 25, मु0 न0 47 के किला न0 11 ता 25, मु0 न0 48 के किला न0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0 न0 51 के किला न0 1, 2, 10, मु0 न0 52 किला न0 1 ता 10, मु0 न0 53 के किला न0 5, 6 कुल किता 50 की कुल 12.346 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम उर्फ मांगीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक डोभी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 92/84, 96 के मुरब्बा न0 41 के किला न0 8, 11/2, 12, 13, 18 ता 20, 23, मु0 न0 46 के किला न0 14 ता 16, 25, मु0 न0 47 के किला न0 11 ता 25, मु0 न0 48 के किला न0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0 न0 51 के किला न0 1, 2, 10, मु0 न0 52 किला न0 1 ता 10, मु0 न0 53 के किला न0 5, 6 कुल किता 50 की कुल 12.346 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम उर्फ मांगीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी रामेश्वरलाल व प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम, प्रतिवादी संख्या 2 रघुवीर, प्रतिवादी संख्या 3 भगतसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23/0[illegible]/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़